संचिका सं0–5 लेखा 14–33/2017

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

निदेशक,
देशी चिकित्सा,
बिहार, पटना

अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदा0(मु0)
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
कुष्ठ, यक्ष्मा, अंधापन, मलेरिया एवं कालाजार, फाइलेरिया, बिहार, पटना

राज्य औषधि नियंत्रण, बिहार पटना

प्राचार्य एवं अधीक्षक,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार

सभी सिविल सर्जन– सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष–2016–17 के आंकड़ो का महालेखाकार कार्यालय से लेखा सत्यापन माह–सितम्बर, 2017 तक निश्चित रूप से सम्पन्न कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार बजट हस्तक के नियम–96 के अनुसार सभी मासिक ऑकड़ो को समेकित करने के बाद मासिक/त्रैमासिक आधार पर इन ऑकडों का मिलान/ समाधान महालेखाकार के लेखों के साथ किया जाना आवश्यक है।

परन्तु महालेखाकार (अंकेक्षण) कार्यालय द्वारा अंकेक्षणोपरान्त यह संसूचित किया गया है कि विभागीय आंकड़ो एवं महालेखाकर (अंकेक्षण) के ऑकड़ो में बहुत बड़ी राशि का अन्तर है। यह प्रदर्शित करता है कि विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा अपने इस महत्वपूर्ण कर्तव्य का सम्यक निर्वहन नहीं किया जा रहा है। इससे विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभाग के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि दिनांक– 30.09.2017 तक महालेखाकार (अंकेक्षण) कार्यालय से संपर्क कर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखा का मिलान करते हुए 05.10.2017 तक स्थिति से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

D:/RAJN.117

ज्ञापांक– 1176(5) दिनांक– 12/9/17

प्रतिलिपि– महालेखकार बिहार पटना को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

ह0/- 12/9/17

सरकार के विशेष सचिव